



Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation

Corporate Identification No. (CIN)-U63040MP1978SGC001445

Registered Office: Paryatan Bhavan, Bhad Bhada Road Bhopal 462003

मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेन्सीa चयन हेतुऑनलाईन निविदा

Website:www.mpstdc.com

NIT No 8333/Manpower/2020

DATE - 23/12/2020

System notice no - 2020\_STDC\_121453\_1

म.प्र. राज्यपर्यटन विकास निगम में मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी हेतु निविदा निगम की वेब साईट ([www.mpstdc.com](http://www.mpstdc.com)/[www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in)) से डाउनलोड की जा सकती है। आनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि ( Last date of Purchase of Tender) निविदा आनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि (Last date of Submission) 01/02/2021 अपरान्हि 15:00 बजे तक प्रस्तुतकी जा सकेगी। किसी भी तकनीकी समस्याके लिये संपर्क करें Toll Free No. 01204001002 अधिक जानकारी हेतु श्री अंकित कौरव 9407057416 या ई-मेल [adminho.mpt@mp.gov.in](mailto:adminho.mpt@mp.gov.in) पर संपर्क करें।



## निविदा प्रपत्र

1. **सामान्य** :- एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रदेश व प्रदेश के बाहर संचालित कार्यालयों, इकाईयों, मार्केटिंग कार्यालयों में कार्य हेतु समय-समय पर मानव संसाधन की होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेन्सी से निविदा प्रपत्र की शर्तों के अंतर्गत Online निविदा आमंत्रित की जाती है। निगम को मानव संसाधन के रूप में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल व उच्च कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी अनुमानित संख्या 1500 से ज्यादा है।
2. **तकनीकी व वित्तीय योग्यता**
  - 2.1 **कार्यानुभव** :- मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को इस क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है, जिसकी प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  - 2.2 एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम से कम प्रतिमाह औसत 250 कर्मचारियों का भविष्यी निधि राशि जमा की गयी हो। (एजेन्सी द्वारा मासिक भविष्यर निधि चालन एवं अन्यध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।)
  - 2.3 एजेन्सी का गत 03 वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से मानव संसाधन को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिकका वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 10.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए।
  - 2.4 **विगत 03 वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) का औसत टर्न-ओवर रूपये 20.00 करोड़ अथवा इससे अधिक होना आवश्यक है। टर्न ओवर के प्रमाण हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की आडिटेड बैलेन्स शीट (लाभ-हानि पत्रक सहित) एवं 2019-20 की प्रोविजनल बैलेन्सड शीट और चार्टर्ड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चार्टर्ड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा अमान्य की जावेगी। दर्शाया गया टर्न-ओवर की राशि केवल**

मानव संसाधन के व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय, इस निविदा के लिए मान्य नहीं की जावेगी।

- 2.5 निविदाकर्ता द्वारा पिछले 03 वर्षों में कम से कम 03 केन्द्रीय/राज्या शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था को मध्य प्रदेश में सेवाए दी हो।
- 2.6 निविदाकर्ता को GST/PF/ESI का पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राशि जमा एवं समय पर रिटर्न फाईल करने के संबंध में चाटर्ड अकाउन्टेण्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.7 जो निविदाकर्ता ( Venders) किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था द्वारा Black Listed (अस्वीधकारा गया हो) किया गया होगा उसे अपात्र समझा जावेगा।
- 2.8 निविदाकर्ता एकल स्वाजमिद्वत/साझेदारी फर्म/कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत कम्पनी हो सकता है।

नोट :- उपरोक्त बिन्दुओं के संबंधित दस्तावेज एवं Annexure I से V तक आनलाईन प्रस्तुत किये जायें।

### **3. निविदा शुल्क एवं सुरक्षा निधि**

- 3.1 निविदाकर्ता को निविदा शुल्क राशि ₹.5000/- (रु.पांच हजार मात्र) + जी.एस.टी. को आनलाईन [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से जमा करानी होगी।
- 3.2 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ राशि ₹. 2.00 (दो लाख मात्र) की EMD (Earnest Money Deposit) आनलाईन [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से जमा करानी होगी। निविदा खुलने के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ता की राशि एक माह के अन्दर Online वापिस कर दी जावेगी।
- 3.3 अनुबंध अवधि अनुबंध किये गये दिनांक से आगामी 03 वर्ष हेतु वैध रहेगा।

#### 4. Online निविदा प्रक्रिया :-

क्रं.	गतिविधि	दिनांक और समय
1	निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि	01/01/2021
2	प्रिविड Queries तिथि (ईमेल एवं गूगल लिंक के माध्यम से जमा की जावेगी।)	18/01/2021, 11:00 Hrs.
3	आनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारंभ तिथि	27/01/2021, 11:00 Hrs.
4	आनलाईन निविदा जमा करने कि अंतिम तिथि	01/02/2021, 15:00 Hrs.
5	आनलाईन तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	02/02/2021, 15:00 Hrs.
6	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	बाद में वेब साईट के माध्यम से सूचीकी जावेगी

5. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से Online Apply किया जावेगा एवं तकनीकी दस्तावेजों की एक प्रति निगम मुख्यालय भोपाल में दिनांक 02/01/2021, 03:00 तक जमा करनी होगी।

#### 6. चयन प्रक्रिया :-

6.1 निविदाकर्ता की तकनीकी व वित्तीय योग्यता का आंकलन निविदा में वर्णित मूल्यांकन शीट में दिये गये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा। विभिन्न मापदण्डों के लिए अलग-अलग अंकों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार न्यूनतम 70 अंक पाये गये निविदाकर्ता की तकनीकी योग्यता घोषित कर उनकी वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता का आंकलन QCBS प्रणाली के निम्नानुसार किया गया जावेगा :-

$$TM=0.7*Tx+0.3*Fx$$

जहां

TM = Total Marks

Tx = Marks Obained in Technical Bid

Fx =(L1 Rate/Rate Quoted) x 100

6.2 उपरोक्त अनुसार अधिक अंक (TM) प्राप्त निविदाकर्ता को सफल निविदाकर्ता घोषित किया जावेगा।

6.3 एक से अधिक निविदाकर्ता के योग्य अंक समान होने पर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में निविदाकार द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं या सरकारी कम्पनी में तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये औसत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जावेगा।

#### 6.4 तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट

क्र	निविदाकारों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी	मापदंड	अधिकतम अंक	निविदाकर्ताओं को प्राप्त अंक	कार्यालय उपयोग हेतु
1	कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	न्यूनतम 03 वर्ष से 05 वर्ष तक-10 अंक 5 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष तक -15 अंक 10 वर्ष से ज्यादा -20 अंक	20		
2	एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम से कम प्रतिमाह औसत 250 कर्मचारियों का भविष्या निधि राशि जमा की गयी हो।	01 अंक प्रत्येक प्रतिमाह औसत 250 कर्मचारियों पर	20		
3	गत 03 वर्षों में से किसी एक वर्ष में वार्षिक एकल अनुबंध	न्यूनतम 10.00 करोड़ तक - 10 अंक प्रत्येक अतिरिक्त 2.00 करोड़ पर - 02 अंक अधिकतम - 20 अंक	20		
4	पिछले 3 साल का औसत टर्नओवर	न्यूनतम 20.00 करोड़ तक - 10 अंक प्रत्येक अतिरिक्त 5.00 करोड़ पर - 02 अंक अधिकतम - 20 अंक	20		

5	स्वातमित्वर	पंजीकृत कंपनी - 10 अंक पंजीकृत साझेदारी फर्म -07 अंक एकल स्वा मित्वत - 05 अंक	10		
6	पिछले 03 वर्षों में कम से कम 03 केन्द्रीय/राज्य शासकीय/अर्द्धशासकी य विभाग/संस्थाश को मध्यभप्रदेश में सेवाए दी हो	03 संस्थाश -05 अंक 03 संस्थाश से अधिक पर - 10 अंक	10		
		<b>कुल अंक</b>	<b>100</b>		

7. प्राप्त निविदा पत्रों को किसी भी स्टेज पर मान्य/अमान्य करने अथवा संपूर्ण निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।
8. सफल निविदाकर्ता से अनुबंध के समय या पूर्व सुरक्षा निधि (Security Deposit) के रूप में राशि रू. 100.00 लाख (रू. एक सौ लाख मात्र) की बैंक गारंटी ली जावेगी, जिसकी वैधता अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक की होना अनिवार्य होगी।
9. यदि मानव संसाधन (कर्मचारी) द्वारा निगम की चल/अचल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है या चोरी आदि की जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
10. सभी मानव संसाधन के सी.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
11. प्रत्येक मानव संसाधन को प्रतिमाह वेतन स्लिप अनिवार्य रूप से देना होगा।
12. सफल निविदाकर्ता के साथ मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध किया जावेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

13. यदि एजेन्सी द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा। एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
14. उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के नियोजन की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी तथा मानव संसाधन के किसी भी प्रकार के दावे, नियोजन, नियमितीकरण की जिम्मेदारी एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की नहीं होगी।
15. एजेन्सी/निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
16. एजेन्सी/निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन (कर्मचारी) के संबंध में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन (कर्मचारियों) का कोई रिश्तेदार/नातेदार निगम में नियमित कर्मचारी ना हो। एजेन्सी को प्रत्येक मानव संसाधन से इस बावत् घोषणा पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
17. सभी मानव संसाधन (कर्मचारियों) को परिचय-पत्र (आई कार्ड) निगम के माध्यम से प्रदान किया जावेगा तथा जिनपर होने वाले व्यय को निविदाकर्ता/एजेन्सी द्वारा निगम को वापस (Refund) करना होगा।
18. निगम के माध्यम से सभी मानव संसाधन (कर्मचारी) को वर्दी प्रदाय की जावेगी। जिसका कपड़ा, रंग, सिलाई, जूता, मोजा आदि के संबंध में अनुमोदन निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। तथा इस पर होने वाला व्यय एजेन्सी द्वारा निगम को वापस (Refund) करना होगा।
19. मानव संसाधन की समस्याओं के निराकरण एवं उन पर नियंत्रण रखने हेतु संबंधित निविदाकर्ता/ एजेन्सी के द्वारा एक-एक सुपरवाइजर, निगम मुख्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/पचमढ़ी एवं खजुराहों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।



20. मानव संसाधन के पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा NEFT/RTGS /अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।
21. सफल प्रथम निविदाकर्ता को लेटर ऑफ इन्टेपन्डि (LOI) जारी करने के 15 दिवस के अन्दर सुरक्षा निधि ( Performance Security Deposit/Bank Guarantee) के साथ अनुबंध निष्पादित कर अनुबंध निष्पादित तिथि से 30 दिवस के अंदर मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि एवं EMD राजसात कर ली जावेगी। तथा द्वितीय सफल निविदाकर्ता को अवसर दिया जावेगा कि वे प्रथम सफल निविदाकर्ता की दर पर सेवा उपलब्ध कराये। अनुबंध के प्रारूप में निष्पादन से पूर्व दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यकतानुसार संसोधन किया जा सकेगा। अनुबंध पत्र के स्टाकम्पी पेपर की राशि का निर्धारण स्टाकम्पी डियुटी अधिनियम 2016 के अनुसार रहेगा।
22. प्रथम निविदाकर्ता द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध करवा दिये जाते हैं, तो द्वितीय निविदाकर्ता की E.M.D. राशि दो माह के अन्दर आनलाईन वापस कर दी जावेगी तथा शेष अन्य निविदाकर्ताओं की E.M.D. राशि वित्तीय निविदा की तिथि के बाद 01 माह के अंदर आनलाईन वापस कर दी जावेगी। विशेष परिस्थितियों में समयवधि में वृद्धि करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।
23. मानव संसाधन के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं श्रम कल्याण मंडल के अभिदाय के नियोक्ता एवं मानव संसाधन के अंशदान की राशि का भुगतान एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन संबंधित मानव संसाधन एजेन्सी को ही करना होगा। भुगतान की गई राशि का चालान प्रतिमाह देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिस के आधार पर निगम द्वारा आवश्यक लागू टैक्स की कटौती कर देयक पारित कर भुगतान किया जावेगा। चालान संलग्न न होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

- 24.संबंधित एजेन्सी द्वारा GST की राशि जमा करवा कर चालान की छायाप्रति निगम को उपलब्ध कराई जावेगी। तत्पश्चात् निगम द्वारा नियमानुसार GST का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा।
- 25.सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर-अन्दर प्रपत्र-5 प्राप्त कर संबंधित जिलों के श्रम कार्यालय में पंजीयन करवाकर (मानव संसाधन उपलब्ध कराने का व्यवसाय करने का) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 26.मानव संसाधन को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान निगम की पूर्वानुमति से किया जावेगा।
- 27.एजेन्सी द्वारा संबंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति निगम को भी 15 दिवस कि समय-सीमा में उपलब्ध करानी होगी एवं संबंधित मानव संसाधन के पुलिस बेरीफिकेशन की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
- 28.एजेन्सी द्वारा सभी मानव संसाधन को प्रत्येक माह की 01 तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान उपरांत देयक तैयार कर माह की 15 तारीख तक निगम के कार्यालय में देयक प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् देयक प्रस्तुत करने की दिनांक से 15 कार्य दिवस में देयक का भुगतान निगम द्वारा संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा न किये जाने पर राशि रु.500/- प्रतिमाह प्रति मानव संसाधन (कर्मचारी) की दर से एजेन्सी से दण्ड स्वरूप वसूल किया जा सकेगा।
- 29.एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्यालय/ईकाई पर एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी जिसमें दर्ज उपस्थिति के आधार पर मानव संसाधन को भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति पंजी की एक प्रति देयक के साथ लगाई जावेगी जो संबंधित इकाई प्रबंधक/कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित होगी, जिसके आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।

30. निविदाकर्ता एवं एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर सचिव, पर्यटन, म.प्र. शासन का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।
32. निगम द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रत्येक माह समस्तक इकाईयों में कार्यरत एजेंसी कर्मचारियों की attendance (उपस्थिति) साफ्टवेयर के माध्यम से एजेंसी को उपलब्ध कराई जावेगी जिसके आधार पर एजेंसी द्वारा पे-बिल तैयार किया जावेगा। इसी बिल के आधार पर एजेंसी द्वारा मानव संसाधन को CPF(EPF) का भुगतान संबंधित खातों में Transfer करना होगा।
33. निविदाकर्ता द्वारा प्रतिमाह के पे-बिल में सम्मिलित GST राशि का भुगतान एवं प्रतिमाह GST रिटर्न संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है , जिससे की निगम को प्रतिमाह GST राशि का Credit मिल सके। यदि निविदाकर्ता द्वारा किसी माह में GST राशि का भुगतान एवं GST रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल होता है तो संबंधित पे-बिल का भुगतान निगम द्वारा रोक दिया जावेगा, एवं निविदाकर्ता लगातार 03 माह से अधिक GST राशि का भुगतान एवं GST रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल होता है तो निगम के पास अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
34. निविदाकर्ता द्वारा निगम के समस्ता प्रक्षेत्रों की इकाईयों एवं मार्केटिंग कार्यालयों के पे-बिल तैयार कर निगम मुख्यालय के कार्मिक शाखा को प्रस्तुत करेंगे। जिनका भुगतान निगम द्वारा एजेंसी को पे-बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अंदर कर दिया जावेगा। किन्ही विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक समय भी लग सकता है।
35. निविदाकर्ता द्वारा प्रतिमाह CPF(EPF) के चालान के साथ ECR File एवं संबंधित माह की मास्ट्र एक्सेमल फाइल की साफ्टकॉपी में निगम की कार्मिक शाखा एवं वित्ता शाखा की ई-मेल आई.डी प्रतिमाह उपलब्धि कराना अनिवार्य होगा।

36. CPF(EPF)ESIC तथा पारिश्रमिक Transfer करने के बाद उक्ता पे-बिल एजेंसी द्वारा निगम को प्रस्तुत करने होंगे।
37. एजेंसी द्वारा प्रदाय Manpower कभी भी निगम के मानव संसाधन (कर्मचारी) नहीं माने जायेंगे।
38. एजेंसी द्वारा प्रदाय मानव संसाधन (कर्मचारी) को नियमानुसार अवकाश का लाभ देना होगा।
39. अनुबंध की वैधता 03 वर्ष की होगी उसके उपरांत आवश्यक कतानुसार एवं एजेंसी के कार्य-व्यवहार अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए वैधता बढ़ायी जा सकती है जिसके समस्त अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होंगे।
40. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक Manpower (कर्मचारी) को निगम में डियुटी Duty Joining से पूर्व कर्मचारी (Manpower) को Appointment Letter जारी करना होगा, जिसकी एक प्रतिलिपि निगम को देनी होगी तथा प्रत्येक Manpower (कर्मचारी) के बायोडाटा (Resume) का एक सेट निगम को भी उपलब्ध कराना होगा।
41. कार्य के दौरान यदि Manpower (कर्मचारी) किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी/निविदाकर्ता का होगा।
42. एजेंसी/निविदाकर्ता द्वारा नोटराइज्ड (शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी एजेंसी के विरुद्ध शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के द्वारा दायर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक प्रकरण लंबित नहीं है।
43. सशर्त प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।
44. निविदाकर्ता को निविदा के साथ आयकर के भुगतान का विगत वर्ष 2018-19 का आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर रिटर्न (आयकर विवरणी) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
45. निगम द्वारा एजेंसी को भुगतान की गई समस्त राशि का नियमानुसार एजेंसी द्वारा नियमित रूप से लेखा संधारण करना होगा, जिसे निगम कार्यालय द्वारा कभी भी मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
46. यदि मध्य प्रदेश के बाहर की एजेंसी की निविदा स्वीकृत होती है तो संबंधित एजेंसी को अनुबंध निष्पामदित करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर भोपाल (म.प्र.) में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलना अनिवार्य होगा।

**महाप्रबंधक (प्रशासन)**

## Annexure-I

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

### तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,

भोपाल (म.प्र.)

क्र.	विवरण	प्रमाण पत्र क्र.	रिमार्क
1	निविदकर्ता का नाम		
2	अधिकृत व्यक्ति का नाम		
3	पता एवं फोन नं०		
4	ई-मेल आई.डी.		
5	स्थापना वर्ष		
6	फर्म की स्थिति (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/एकल स्वामित्व)		
7	निदेशक/साझेदार/स्वामी का नाम		
8	कंपनी/फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करे)		
9	GST क्रमांक एवं जारी दिनांक, GST रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करे।		
10	पैन कार्ड नम्बर प्रति एवं अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करे		
11	ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र		
12	ई.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र		
13	स्थानीय निकाय द्वारा जारी पंजीयन (गुमास्ता)		
14	श्रम विभाग से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र		

क्र.	विवरण	प्रमाण पत्र क्र.	रिमार्क
15	बैंकर्स के नाम एवं पता खाता नं. सहित।		
16	कार्यानुभव प्रमाण पत्र ( विगत 3 वर्षों में किसी संस्था में उपलब्ध कराये मानव संसाधन (कर्मचारी) से संबंधित संस्था से जारी किए गए प्रमाण पत्र)		
17	टर्न ओवर प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)		
18	बैलेन्स शीट की प्रति		(वर्ष 2017-18) (वर्ष 2018-19) (वर्ष 2019-20)
19	एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम से कम प्रतिमाह औसत 250 कर्मचारियों का भविष्य निधि राशि जमा की गयी हो।		
20	एजेन्सी का गत 03 वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से मानव संसाधन को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमि क का वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 10.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)		
21	ई.एम.डी. जानकारी:-रसीद ऑनलाईन क्रमांक.....दिनांक..... बैंक नाम.....		
22	निविदा शुल्क के रसीद ऑनलाईन क्रमांक.....दिनांक..... बैंक का नाम.....		
23	तकनीकि व वित्तीय योग्यता के संबंध में अन्य प्रपत्र।		
24	निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति		
25	अन्य जानकारी		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं सील

## घोषणा

1. मेरे द्वारा घोषण की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम-शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो निगम द्वारा नियमानुसार मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।
2. म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा योग्य एजेंसी के चयन संबंध में लिया गया निर्णय मुझे/हमे मान्य होगा तथा मैं/हम इसे मानने के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे।
3. मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।
4. मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य अथवा संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं सील





### Annexure-III

एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम से कम प्रतिमाह औसत 250  
कर्मचारियों का भविष्या निधि राशि जमा से संबंधित प्रपत्र

क्र.	वर्ष	माह	कर्मचारियों की संख्या जिनका मासिक EPF राशि जमा की गई हो	संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक
1.	2019	अप्रैल		
2	2019	मई		
3	2019	जून		
4	2019	जुलाई		
5	2019	अगस्त		
6	2019	सितम्बर		
7	2019	अक्टूबर		
8	2019	नवम्बर		
9	2019	दिसम्बर		
10	2020	जनवरी		
11	2020	फरवरी		
12	2020	मार्च		
		योग (T)		
		औसत (T/12)		

नोट :- (एजेन्सी द्वारा मासिक भविष्य निधि चालन एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।)

## **Annexure-IV**

एजेन्सी का गत 03 वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से मानव संसाधन को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 10.00 करोड़ से ज्यादा की जानकारी प्रपत्र

क्र.	वित्तीय वर्ष	संस्था का नाम	वार्षिक अनुबंध राशि	संबंधित अनुबंध/वर्क आर्डर	संलग्नत प्रमाण पत्र क्रमांक
1.					
2					
3					

## **Annexure-V**

पिछले 03 वर्षों में कम से कम 03 केन्द्रीय/राज्य शासकीय/अर्द्धशासकीय  
विभाग/संस्था को मध्यकप्रदेश में सेवाए दी गई सेवाओं की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	संस्था का नाम	संबंधित अनुबंध/वर्क आर्डर	संलग्नत प्रमाण पत्र क्रमांक
1.				
2				
3				

## Annexure-VI

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

### आनलाईन वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,

भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम:.....
2. मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध कराने हेतु निगम से लिये जाने वाले कमीशन शुल्कत की राशि ..... शब्दों.....(प्रति व्य.क्ति/प्रतिमाह जी.एस.टी. अतिरिक्तव

### घोषणा

निविदा क्रमांक ... दिनांक ..... में उल्लेखित/निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं, तथा मेरे/ हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी असत्य जानकारी के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं सील